

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में,

सभी डी०डी०ओ०,
क्षेत्रीय कार्यालय, श्रम विभाग, हरियाणा।

क्रमांक: स्था०/०१/२०२४/ २५३५-८६

दिनांक: २५/०१/२५

विषय:-

Regarding Online Transfer Policy.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

जैसा कि आपको विदित है कि विभाग में श्रम निरीक्षकों, सहायकों व लिपिकों का स्थानान्तरण ऑन लाईन स्थानान्तरण नीति के तहत किया जाना है। सभी कर्मचारी जो एक ही कार्यालय में दो वर्ष से अधिक कार्यरत हैं अपनी इच्छानुसार ऑन लाईन स्थानान्तरण नीति में भाग ले सकते हैं। परन्तु कुछ कर्मचारियों ने सूचित किया है कि वे कुछ अपरिहार्य कारणों से ऑन लाईन स्थानान्तरण नीति में इच्छानुसार भाग नहीं ले सके।

अतः कार्यालय द्वारा Willing Consent के लिये दिनांक २४.०१.२०२५ से २५.०१.२०२५ तक विकल्प चुनने का अवसर पुनः उपलब्ध करवाया जाता है। इच्छुक कर्मचारी जो पहले अनविलिंग का विकल्प चुन चुके हैं वे इन्द्रा हरियाणा के माध्यम से निर्धारित तिथि अनुसार अपना विकल्प पुनः चुन सकते हैं। भविष्य में इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।



लेखा अधिकारी-कम-
नोडल अधिकारी, HRMS